26/2/24

आज यह पत्रावली वकील वादी के उपस्थित होने पर पेशी में ली गई। वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष इकरारनामें के आधार पर है जिसके बाबत् न्यायालय हाजा का कोई श्रेत्राधिकार नहीं है। उपर्युक्त बाबत् श्रेत्राधिकार विर्निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत बहस वाद सुनी गई।

पत्रावली दर्ज रजि. की जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वकील वादी ये साबित करने में असमर्थ रहे कि इकरारनामें के आधार पर चाहा गया अनुतोष न्यायालय हाजा के श्रेत्राधिकार का है। इसलिए हस्तगत वाद पत्र को श्रेत्राधिकार से बाहर होने एवं विधि द्वारा वर्जित होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर होकर नियमानुसार नम्बर से कम हो।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.03.25 12:38:32 IST
Reason: SelfAttested